



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नोरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

याचिका सं.156/टीएल/2024

दिनांक: 6.6.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी हाउस, शांतिग्राम, तीसरी मंजिल, साउथ विंग, पूसजी हाइवे, अहमदाबाद - 382421 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएन) मोड (इसके परचात 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर 'दक्षिणी प्रदेश' में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर प्रादेशिक एसी लिंक अर्थात्, 'बरोरा - वारंगल और चिलाकलूरुपेट - हैदराबाद - कुर्नूल 765 केवी लिंक' योजना के अधीन डब्ल्यूकेटीएल द्वारा कार्यान्वित पारेषण लाइनों के लिए बस रिपक्टर के रूप में स्विचबल लाइन रिपक्टर उपयोग करने के लिए एनजीआर बाईपास करने हेतु योजना - भाग-क' के कार्यान्वयन के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय-सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
1.	'दक्षिणी प्रदेश' में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर प्रादेशिक एसी लिंक अर्थात्, बरोरा - वारंगल और चिलाकलूरुपेट - हैदराबाद - कुर्नूल 765 केवी लिंक' योजना के अधीन डब्ल्यूकेटीएल द्वारा कार्यान्वित पारेषण लाइनों के लिए बस रिपक्टर के रूप में स्विचबल लाइन रिपक्टर उपयोग करने के लिए एनजीआर बाईपास करने हेतु योजना - भाग-क' कार्यान्वयन समय-सीमा: 06 मास	2.08	बरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा एटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित। (मैसर्स अदानी)

- नैटेल ट्रांसमिशन म्यूचुअलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिफॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 156/टीएल/2024 में दिनांक 6.6.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त धारा 1 में स्थानान्तरित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- बरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराष्ट्रियक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुमोदित एनजीआर बाईपास सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanirenergysolutions.com पर डेक जा सकता है या निरीक्षण विभाग का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस एसड द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया जाता है कि आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 16.6.2024 तक अधोस्वीकरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 16.6.2024 को आवेदन पर आम की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को उभार सकता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंसेवक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टैरिफ / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -
(हरप्रीत सिंह प्रधी)
सचिव